कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी चमोली।

ईमेल- cfohdr.ukfs@gmail.com फोन नं०-01334-265700

पत्रांकः न - 10 (2) / सीएफओ - GPR / 2024

दिनांकः अगस्त 16 2024

स्वामी/ प्रबन्धक
राजकीय इण्टर कालेज
सिमली, जनपद चमोली

विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बर-75603410 दिनांक 10.07.2024 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन गोपेश्वर द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन गोपेश्वर की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

अतः आपके संस्थान के प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से - 03 वर्ष के लिये इस आधार पर प्रदान किया जा रहा है कि मानचित्र सम्बन्धी सभी औपचारिकता एंव मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण कर ऑन लाईन Pre-Operational Noc हेतु आवदेन किया जाना आवश्यक होगा।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये ।

2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।

3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्र की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए

4 भवन / संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी सेट बैंक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।

5 संस्थान के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

6. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता ।

7. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों / एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है ।

(आर० एस० खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(चमोली)